

27.6.16

साहित्यिका

पम्पली रिकार्ड खण्डे वरामुद्दुई वकील  
 सापसने डि० 23.6.16 के प्रापन प्रत्युत थ  
 एव नं० 1242 के स्वगत से मुक्ता करे के  
 प्रापन परा दिना) जिस पर पम्पली के अवलोकन  
 उपरान्त गैर वापल वकील की सुनवाई हेतु  
 डि० 27.6.16 निपटा की गई। आज प्राची मरम  
 ने उपरोक्ता अवगत वरामुद्दुई कि प्रापन

आचार्य निषेधाज्ञा एवं डाकू चारा RTA 22  
क्र.सं. 26/16 को चलाना नहीं चाहते हैं।  
जो रफाफलाफ के आपसी सहमति हो गई है।  
प्राची ने स्वयं रूप से रफाफलाफ की  
प्रकरण विद्रा करना चाहा।

अतः प्राथम आचार्य निषेधाज्ञा  
विद्रा किया जाकर कार्रवाई होप की जाती  
है। प्रस्तुत पत्रार्थ शामिल मिलन दिख जाये।  
प्राथम पत्रार्थी फैसल मुक्त दिख जाकर  
वाड तकरीबन दारिखल इफला दिख जाये।

निर्णय दिखेक 27.6.16 को लुनाफ गभरा

उपसंह अधिकारी  
(एसाओएम) दिण्डो